भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4722
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबेया एयरफील्ड से उड़ानें

4722. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हथुवा स्थित सबेया एयरफील्ड को लम्बे समय से उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है परन्तु हवाई यात्रा सेवाएं शुरू करने के लिए कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने सबेया एयरफील्ड के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निजी विमान कंपनियों के प्रचालकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई पहल नहीं की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सबेया एयरफील्ड से छोटी या मध्यम उड़ानों के प्रचालन हेतु बोली लगाने के लिए निजी विमान कंपनियों के प्रचालकों को राजी करने हेतु कोई प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने छोटी उड़ानों अथवा विभिन्न महानगरों के लिए उड़ानों के प्रचालन को सक्षम बनाने के लिए टर्मिनल भवनों जैसी अवसंरचना का निर्माण करने और हवाई पट्टी की मरम्मत करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): सबेया (हथुवा) हवाईपट्टी, बिहार, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) दस्तावेज में असेवित हवाईअड्डों की सूची में उपलब्ध है। तथापि, सबेया हवाईअड्डे को जोड़ने वाले मार्गों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत उड़ानें परिचालित करने हेतु किसी भी एयरलाइन से कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। अतः, 'उड़ान योजना' के तहत इस हवाईपट्टी के पुनरुद्धार पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन वैध बोली के माध्यम से उन्हें चिह्नित करके और चयनित एयरलाइन प्रचालक को अवॉर्ड करके किया जाता है।

यदि कोई एयरलाइन बोली प्रक्रिया के भावी दौर में सबेया हवाईपट्टी को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए वैध प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो उस पर 'उड़ान योजना' के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

******